>

Title: Regarding alleged irregularities in procurement of wheat at minimum support price by the Food Corporation of India in Rajasthan.

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा (दौसा) ः सभापति जी, देश के किसानों की उपज का प्रकरण लोक सभा में चार-पांच दिनों से उठ रहा है और आज भी उस पर गंभीर बहस हुई है। बोरियों की व्यवस्था नहीं है, खरीदने की प्रोपर व्यवस्था नहीं होने के कारण और रख-रखाव की व्यवस्था नहीं होने के कारण पूरे देश के किसानों में भारी आक्रोश और असंतोष व्याप्त है। आपको देखने को मिला है कि बारदाना नहीं मिला तो मध्य प्रदेश में फायरिंग हो गई। यही स्थिति राजस्थान में भी होने वाली है चूंकि उचित व्यवस्था न तो बारदाने की है, न रखने की है, इसलिए वहां भी कभी भी लॉ एण्ड ऑडर की स्थिति बिगड़ सकती है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। पर खरीद में जो गड़बड़ हो रही है, किसानों के बीच में जो बिचौलिए आ गए हैं और एक माफिया खड़ा हो गया कि किसान का गेहूं तो बिक नहीं रहा है और बिचौलिए बीच में गेहूं बेच कर उसका फायदा उठा रहे हैं।

राजस्थान में, मेरे संसदीय क्षेत्र में दस प्रतिशत गेहूं बिका नहीं है और 90 प्रतिशत के करीब गेहूं बिचौलिए और माफिया बेच गए। मैं उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एफसीआई ने अपने सर्क्युलर में लिखा है कि जो भी किसान पहचान पत्र और गिरदावरी ले कर आएगा, उसका गेहूं लिया जाएगा। लेकिन वहां के खाद्य मंत्री ने एक आदेश जारी कर दिया कि उसके अलावा अगर रॅशन कार्ड, जॉब कार्ड, वाहन लाइसेंस, किसान क्रेडिट कार्ड और पासपोर्ट ले कर भी अगर कोई आएगा तो उसका गेहूं भी ले लिया जाएगा। अब इसमें गड़बड़ क्या हुई? जो कोई पासपोर्ट, राशन कार्ड या और कोई अन्य पहचान पत्र ले आया और उस पहचान पत्र के आधार पर वह गेहूं बेच गया। उसने पैदा तो पांच बीघा गेहूं भी नहीं किया और पचास बीघा का गेहूं बेच कर चला गया। इसमें एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और घोटाला इस ढंग का हुआ है कि मेरे संसदीय क्षेत्र की एक मंडी पड़ती है - लालसोठ और मंडावरी। उस लालसोठ और मंडावरी में जो एफसीआई के अधिकारियों को रिपोर्ट दी गई है, उसमें 22.04.2012 से 27.04.2012 के बीच में केवल 2375 क्वींटल की आवक हुई। जब मैंने उसका अवलोकन किया तो उस मंडी में 55 से 60 हजार के बीच में बोरियां थी। इतना जो गैप हुआ है, इतनी अधिक बोरियां जो पाई गई हैं, उसका कोई हिसाब-किताब नहीं है। दूसरे लोग बीच में पड़ गए। एक ऐसा माफिया पैदा हुआ जिसमें कृषि मंडी के कुछ अधिकारी, एफसीआई के कर्मचारी और कुछ व्यापारियों ने मिल कर बाहर की मंडियों से गेहूं मंगा कर वहां पर बेच दिया।

MR. CHAIRMAN: What is your demand? What do you want to say?

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ः ऐसे तमाम मामले हैं, जिसमें किसान नहीं हैं। प्रत्येक बोरी के 300 से 400 रूपये बिचौलिए खा गए और किसान का गेहूं बिक नहीं पाया। माफिया बीपीएल का गेहूं बेच गए, एपीएल का गेहूं बेच गए हैं और दूसरी मंडियों का गेहूं बेच गए। यहां तक कि एक छोटी सी मंडी के सेंटर पर 23000 क्वींटल का गेहूं एक दिन में खरीद लिया गया। 23000 क्वींटल का गेहूं एक दिन में किसी भी स्थिति में तोला नहीं जा सकता है। इसलिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि इस प्रकरण की, जिसमें माफिया बीच में आ गया, जांच कराई जाए। ...(व्यवधान)

MR CHAIRMAN: The matter is already raised in morning. The hon. Minister has replied it. You say what you want.

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ः मंत्री तो बात कर रहे हैं। बड़े शर्म की बात है कि मंत्री इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को भी नहीं सुन रहे हैं। आप स्वयं देख लीजिए कि तीनों आपस में बात कर रहे हैं। आप इनसे पूछ लीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हरीश रावत जी तो अब भी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। एफसीआई के अधिकारियों ने घपला किया है। माफिया और व्यापारियों से मिल कर गेहूं बेच दिया। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि एफसीआई के अधिकारियों की मिलीभगत के कारण मेरे संसदीय क्षेत्र में और राजस्थान में जो घपला हुआ है, उसकी जांच की जानी चाहिए। धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN:

Shri Ashok Argal is allowed to associate with the matter raised by Dr. Kirodi Lal Meena.